

188
19-11-21

APP-A
crim-I

FORM NO. III


फर्ड अहकाम (नियम-26)

2021
509

अज अवालत सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा (नरेश सोनी) नियम

मांजीलाल बनाम मनमोहन

किसम मुकदमा पिस 88 RTA नं 211 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.11.21	<p>वारी ने प्रशासन गंतो के संग्रह केन्द्र कोर्ट मांजीलाल में वाद-पठ पेश कर निवेदन किया गया कि मौला मांजीलाल के भात के. 185 में मनमोहन वारी का नाम दर्ज है तथा खात के. 102, 176 में वारी का सही नाम मांजीलाल दर्ज है, इसी प्रकार अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी वारी का नाम मांजीलाल दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया गया।</p> <p>वकी ने इच्छामी मवाक दावा पेश किया गया।</p> <p>वाद-पठ में अंकित तथ्यों की मजहदें भात में जांच कर वारी का सही नाम मांजीलाल दर्ज करने की अनुशंसा की गई।</p>	<p></p> <p><u>मनमोहन</u></p> <p><u>मनमोहन</u></p> <p><u>किंवलासिंह राजपुरोहित</u> सुरपच मास पंचायत मांजीवाल प.स. बालोतरा बाझर</p> <p><u>Chaur</u></p> <p><u>15/11/2021</u></p> <p>उप तहसीलदार (भू.अ.) जसोल तहसील - बुधपलस</p>

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादी के वाद को स्वीकार कर
 मैला मजिदाला के खेत क्र. 1158/900
 रकबा 15.12 बीघा में वादी का गमल
 नाम मगाराम के स्थान पर मांगीलाल
 टुकड़ी की जाती है।

तहसीलदार, पंचपदरा तदानुसार वाजिद
 के कर्तव्य में अमलदरामत कर पालना
 रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दि. 19.11.2024
 को मजिसे आज की ही वेद मजिदाला
 में सुनाया गया।

(नरेण सीनी)
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बालोतरा